भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1286

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर का सस्ता इलाज

1286. श्रीमती संगीता आज़ाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह देखते हुए कि कैंसर देश में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है और प्रतिवर्ष कैंसर के लगभग 1.4 मिलियन नए मामले सामने आते हैं और इसके 2040 तक दो मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है, सरकार के पास भारत में कैंसर के बढ़ते हुए मामलों से निपटने हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि 60 प्रतिशत मौतों का कारण कैंसर होने के बावजूद इससे संबंधित स्वास्थ्य व्यय केवल 20 प्रतिशत है, सरकार के पास कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने और स्वास्थ्य देखभाल निधि का समान वितरण सुनिश्चित करने की कोई योजना/रणनीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास तंबाकू, संक्रमण, खराब आहार और शारीरिक श्रम में कमी जैसे हाल ही में बताए गए रोके जा सकने वाले कारकों संबंधी घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता अभियान और निवारक उपाय शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी सरकारी पहलों, जहां रोगियों को तुरंत देय अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ रहा है, के बावजूद इलाज के दौरान कई रोगियों के समक्ष वाली वित्तीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा कैंसर के इलाज को और अधिक वहनीय और सुलभ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उपलब्ध संसाधन सीमा के अध्यधीन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए अवसंरचना को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन और उचित स्तर की स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफरल के लिए जागरूकता सृजन पर अभिकेंद्रित है। एनएचएम के अंतर्गत राज्यों को जिला और उससे नीचे के स्तर के कार्यकलापों के लिए 60:40 (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के मामले में 90:10) के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। एनपी-एनसीडी के तहत, 753 जिला एनसीडी क्लीनिक, 355 जिला डे केयर सेंटर और 6237 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, एम्स जैसे केंद्रीय संस्थानों और निजी क्षेत्र के अस्पतालों सहित स्वास्थ्य परिचर्या वितरण प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर कैंसर का निदान और उपचार किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उपचार या तो निःशुल्क है या अत्यधिक रियायत (छूट) दी जाती है। केंद्र सरकार कैंसर की विशिष्ट परिचर्या के लिए सुविधा केंद्रों को बढ़ाने के लिए कैंसर विशिष्ट परिचर्या योजना को सुदृढ़ करने की योजना भी कार्यान्वित कर रही है। उक्त योजना के तहत 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) को स्वीकृति दी गई है।

झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता का दूसरा परिसर भी स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत नए एम्स और कई उन्नत संस्थानों के मामले में इसके विभिन्न पहलुओं में ऑन्कोलॉजी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ग): आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के माध्यम से व्यापक प्राथमिक परिचर्या के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों और लक्षित संप्रेषण को बढ़ावा देकर कैंसर के निवारक पहलू को सुदृढ़ किया जाता है। एनसीडी के बारे में कैंसर और इसके जोखिम कारकों (तंबाकू उपभोग, शराब का सेवन, शारीरिक असक्रियता, अस्वस्थ्यकर भोजन और वायु प्रदूषण) जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य पहल में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और विश्व कैंसर दिवस का आयोजन और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, एफएसएसएआई के माध्यम से स्वास्थ्यवर्धक भोजन को भी बढ़ावा दिया जाता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट लागू किया जाता है और आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न योग संबंधी गतिविधियां की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एनपी-एनसीडी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार चलाए वाले एनसीडी के जागरूकता सृजन (आईईसी) कार्यकलापों के लिए एनएचएम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।

(घ): प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत, 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य आश्वासन/स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत उपचार पैकेज बहुत व्यापक हैं जिनमें दवाओं और नैदानिक सेवाओं जैसे विभिन्न उपचार संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) और स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) की अंब्रेला योजना के तहत कैंसर सहित प्रमुख जीवन-घातक बीमारियों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एचएमडीजी के तहत उपचार लागत का एक भाग अधिकतम 1,25,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और आरएएन की अंब्रेला योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ) के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रु. है।

राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कैंसर की दवाओं को अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में पर्याप्त छूट पर उपलब्ध कराना है।

******